

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक-19.02.2020 द्वारा श्री अमित कुमार जैन, व्याख्याता (हिन्दी) की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर हेतु कार्यमुक्त किया गया। जिसकी पालना में श्री अमित कुमार जैन ने इस कार्यालय में दिनांक-26.02.2020 को अपनी उपस्थिति दी।

अतः श्री अमित कुमार जैन, व्याख्याता (हिन्दी) जो आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में दे रहे हैं, का पदस्थापन राउमावि, बिड़ोली-निवाई जिला टोंक में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पर किया जाता है।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/एपीओ/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक- 04-03-2020

- 1-निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान जयपुर
- 2-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर संभाग, अजमेर
- 3-मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), टोंक
- 4-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
- 5-अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण अनुभाग को प्रति देकर लेख है कि संबंधित कार्मिक श्री अमित कुमार जैन, व्याख्याता (हिन्दी) को कार्यमुक्त करने संबंधी कार्यवाही करावें एवं श्री जैन ने 19.02 दिवस के अवकाश का उपभोग किया है।
- 5-प्रधानाचार्य, राउमावि, बिड़ोली-निवाई जिला टोंक को प्रति देकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पर तत्काल अपडेट करें।
- 6- श्री अमित कुमार जैन, व्याख्याता (हिन्दी) कार्यालय हाजा को आज दिनांक-04-03-20 को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर दें।
- 7-रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर